न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–860/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00645)

01. भौरीलाल पुत्र झूँथाराम जाति मीना, निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. दोलाराम पुत्र श्री धन्नाराम,
02. जगदीश पुत्र धन्नाराम,
03. मांगीदेवी पत्नी दोलाराम, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चैनपुरावास डैडवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

——मुख्य रेस्पोडेन्ट्स

05. रामनारायण पुत्र भैरू,
06. नानूराम पुत्र भैरू,
07. छाजू पुत्र रामनारायण,
08. श्रवण पुत्र रामनारायण, समस्त जाति मीना निवासी चैनपुरावास, डैडवाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
09. सरजू पत्नी नान्छाराम,
10. काना पुत्र नान्छाराम,
11. लादू पुत्र नान्छाराम,
12. बोदू पुत्र नान्छाराम, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री बंशीधर जाट एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री महेन्द्र कुमार वर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 6 से 8 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 28.03.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित भूमि खसरा नम्बर 6/57 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 6/58 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम चैनपुरावास डैडवाडी तहसील जमवारामगढ़ बाबत प्रस्तुत कर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का

P.T.O.

समुचित अवसर दिये बिना ही विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष वाद संख्या 160/2014 भौरीलाल बनाम हनुमान सहाय के नाम से प्रस्तुत कर रखा था जिममें हाल नक्शा दुरूस्त करने बाबत अनुतोष चाहा गया था उक्त वाद पत्र का दिनांक 28.06.2016 को अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय किया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार जमवारामगढ में हाल नक्शा ट्रेस तैयार नही किया गया तथा जब तक नक्शा ट्रेस तैयार नही किया जाता तब तक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नही की जा सकती है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 लगायत 12 अपील प्रस्तुत करते समय मौजूद नही होने के कारण उन्हे तरतीबी रेस्पोडेन्ट बनाया गया है जबकि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 लगायत 12 का अपील में समान हित निहित है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी। सर्वप्रथम दिनांक 10.07.2020 को हल्का पटवारी मौके पर पहूँचा तो हल्का पटवारी द्वारा जानकारी दी गई उसके पश्चात् अपीलान्ट्स ने जिलाधीश कार्यालय में आकर अपीलाधीन आदेश की प्रति हेतु आवेदन किया जो दिनांक 02.07.3020 को प्राप्त हुई तथा लॉक डाउन होने के कारण नियत समय में पत्रावली की प्रतिपिलि प्राप्त नही हो सकी। उक्त ओदश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 व 6 लगायत 8 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 6/57 रकबा 3 बीघा व खसरा नम्बर 6/58 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम चैनपुरावास का सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2014 को करवाकर फर्द तैयार किया गया लेकिन अपीलान्ट अन्य द्वारा उक्त सीमाज्ञान को नाही मानकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर है तथा अतिक्रमण कर कुछ भूमि पर नाजायज कब्जा भी कर लिया है जिस पर रेस्पोडेन्ट की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक रूप से परीक्षण करने के उपरान्त गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2014 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है तथा अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है किन्तु रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करके मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट्स का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित किया गया है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पत्थरगढी/सीमाज्ञान हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नही होना अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबुत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।